

९१९

नगर निगम, जयपुर

१७/५/१२

एम्पावर्ड कमेटी प्रशासन शहरों के संग 2012 कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 22.04.2013 को 4:00 बजे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अंतर्गत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए:-

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|
| 1. श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल | महापौर | अध्यक्ष। |
| 2. श्री जगरूप सिंह यादव | मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य | सचिव। |
| 3. श्री सतीश कुमार शर्मा | वरिष्ठ नगर नियोजक | |
| | प्रभार अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक | सदस्य। |
| 4. श्री आर. के. पालीवाल | मुख्य अभियन्ता | |
| 5. श्री उम्मेद सिंह | आयुक्त आयोजना | |
| 6. श्री मुकेश मित्तल | उप नगर नियोजक | |

Handwritten signatures of the members present at the meeting, including the Mayor, the Secretary, and other officials.

11. विचारणीय बिन्दु :-

1. प्रार्थी द्वारा स्वतंत्र आवासीय मानचित्र प्रस्तुत कर स्टिल्ट + चतुर्थ तल; कुल 15.00 मीटर ऊँचाई की भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी है।
2. सड़क मार्गाधिकार को 40'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवेदक से 4'-9"X58'-0" = 30.61 वर्ग. मी. (25.59 वर्ग. मी.) भूमि समर्पित करवाई जानी है।

12. मानचित्रों का अनुमोदन किया जाता है तो निम्नानुसार शुल्क लिया जाना है :-

1. भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क	93340/- रुपये।
2. मलबा शुल्क	5000/- रुपये।
3. वर्षा जल संग्रहण हेतु राशि	75000/- रुपये।
4. लोगो राशि	1000/- रुपये।
5. अतिऽ० एफ.ए.आर. शुल्क	3,35,279/- रुपये।
6. सीवर शुल्क	/ - रुपये।

13. प्रस्ताव :- भवन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है, सड़क को चौड़ा किये जाने की भूमि समर्पण की शर्त के साथ।

14. समिति का निर्णय निम्नानुसार है।

1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार प्रस्तावित भवन निर्माण (स्टिल्ट+चतुर्थ तल कुल ऊँचाई 15.00 मीटर) अनुमोदित किया जाता है।
2. सड़क को 40'-0" चौड़ा किये जाने हेतु आवेदक से 4'-9"X 58'-0" = 30.61 वर्ग गज (25.59 वर्ग मीटर) भूमि समर्पित कराई जाये।
3. समस्त शुल्क जमा होने व भूमि समर्पण के पश्चात् भवन मानचित्र जारी किये जायें।


अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर


सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर


सदस्य,
वरिष्ठ नगर नियोजक
प्रभार अतिऽ० मु० नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर


सदस्य,
मुख्य अधियन्ता
नगर निगम, जयपुर


आमुक्ता (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

11. शुल्क :

■ भू. सं. 21/137; 21/138; 21/139 व 21/140

- i. पुनर्गठन शुल्क (100/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 73500/- रुपये।
- ii. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) 18375/- रुपये।

12. प्रस्ताव :- उपरोक्तानुसार पुनर्गठन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

13. समिति का निर्णय निम्नानुसार है।

1. एजेंडा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार प्रस्तावित भूखण्डों का पुनर्गठन अनुमोदित किया जाता है।
2. पुनर्गठित भूखण्ड कार्नर का होने के कारण कार्नर पर गोलाई दिये जाने हेतु (7.5 मीटर रेडियस की) भूमि समर्पित कराई जायें।
3. समस्त शुल्क जमा होने व भूमि समर्पण के पश्चात् पुनर्गठित मानचित्र जारी किये जायें। करने हेतु

अधिकारी
अध्यक्ष,
महापोर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य
सदस्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य
वरिष्ठ नगर नियोजक
प्रभार अतिथि मुऱ नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आयुष्मति (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

भवन विनियम में किये गये उक्त संशोधन के मध्येनजर समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया।

- i. विधानसभा प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजने हेतु आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भवन की ऊँचाई 34.05 मीटर है, जो 40 मीटर से कम है व निगम स्तर पर स्वीकृत की जा सकती है।
- ii. ऐसे समस्त प्रकरण जिसमें पूर्व भवन विनियम के प्रावधानों के तहत 30.00 मीटर से अधिक ऊँचाई प्रस्तावित होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया हुआ है या राज्य सरकार को पत्र स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है/भेजा जाना है ऐसे समस्त प्रकरणों में जिसमें भवन की ऊँचाई 40 मीटर तक प्रस्तावित है अब राज्य सरकार की उक्त संशोधन के अनुसार स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है व इस प्रकार के सभी पूर्व निस्तारित प्रकरणों में स्वीकृति जारी नगर निगम स्तर पर किये जाने की कार्यवाही की जायें।
3. भवन की ऊँचाई 30.00 मीटर से अधिक होने के कारण भारतीय उड्यन विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जायें।
4. भवन की ऊँचाई 15.00 मीटर से अधिक होने के कारण फायर की अनापत्ति ली जायें।
5. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात्, नागरिक उड्यन विभाग की अनापत्ति प्राप्त किये जाने तथा फायर की अनापत्ति प्राप्त किये जाने के बाद भवन मानचित्र जारी किये जायें।

अधिकारी
अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
वरिष्ठ नगर नियोजक
प्रभार अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
मुख्य अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

प्रयोजन – बनीपार्क योजना मे शिव मार्ग, को चौड़ा किये जाने बावत् प्रसारित सार्वजनिक विज्ञप्ति के संदर्भ में प्राप्त आपत्ति/सुझाव बावत्।

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समिति के पूर्व निर्णय के संदर्भ में जो दैनिक समाचार पत्र में सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की गई थी बावत् जो आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए है उनका परीक्षण कर प्रकरण को आगामी एम्पार्ड कमेटी की बैठक में प्रस्तुत किया जायें तथा तत्पश्चात् ही राज्य सरकार को पूर्व निर्णय के क्रम में पत्र प्रेषित किया जायें। फिलहाल सड़क की वर्तमान चौड़ाई 50 फीट के आधार पर नियमानुसार जो 15.00 मीटर उँचाई तीनों प्रकरणों मे देय है वह विचाराधीन तीनों प्रकरणों में 15.00 मीटर उँचाई के मानचित्र जारी किये जायें।

महापौर
अध्यक्ष,
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
वरिष्ठ नगर नियोजक
प्रभार अति० मु० नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

अयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

क्रमांक :— एफ 13 () व. न. नियो./जननि./2013/

दिनांक:—

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सहायक, मा. महापौर महोदया, नगर निगम, जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
3. अति० मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर।
5. संबंधित आयुक्त, जोन, नगर निगम, जयपुर।
6. गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर